

# छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -

प्रकरण क्रमांक-M-RECT-2024-02162

आवेदक : श्रीमती तेरेसा लकड़ा, पति-श्री फूलजेन्स लकड़ा, निवासी-वार्ड नं.-42, तेरेसा विला, हेमू नगर, आर.एन.टी.लेन, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) विरुद्ध वात्सल्य बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स प्रा.लि. द्वारा डायरेक्टर-श्री प्रफुल्ल पुरुषोत्तम राव गड़गे, पता-201, गणेश चेम्बर्स, द्वितीय तल, मेहदिया चौक, धनटोली, यशवंत स्टेडियम के सामने, नागपुर (महाराष्ट्र)  
प्रोजेक्ट-"वात्सल्य गौरव-2" सेजबहार, जिला-रायपुर (छ.ग.)

| आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान | आदेश अथवा कार्यवाही  | पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| 06/03/2024                      | <p>- प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>- आवेदिका श्रीमती तेरेसा लकड़ा द्वारा भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-39 के अधीन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.01.2022 पर पुनः विचार किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>संक्षेप में आवेदिका का कथन है कि प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक-M-PRO-2021-01546 में आदेश दिनांक 13.01.2022 पारित आदेश की कंडिका-4 में उल्लेखित किया गया है कि आवेदिका द्वारा कुल राशि 12,31,000/- का भुगतान अनावेदक को किया गया है। इसे प्रमाणित करने हेतु आवेदन पत्र के साथ पृष्ठ-15 से पृष्ठ-28 तक रसीद की छायाप्रति पेश किया गया था जिसमें से राशि 8,68,000/- तक रसीदें पठनीय होने से प्रमाणित पाया गया, इसलिए अनावेदक को भुगतान करने निर्देशित किया गया है। आवेदिका द्वारा अनावेदक को भुगतान किया गया बैंक स्टेटमेंट की प्रति उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान कर प्राधिकरण के पारित आदेश दिनांक 13.01.2022 में पुनः विचार कराने हेतु आवेदन पत्र धारा-39 के तहत प्रस्तुत कर आदेश पारित करने निवेदन किया गया है।</p> <p>- आवेदक द्वारा अधिनियम की धारा-39 के अधीन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, कि प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक M-PRO-2021-01546 में दिनांक 13.01.2022 को आदेश पारित किया गया है, जिस पर पुनर्विचार करते हुए प्राधिकरण द्वारा उक्त पारित आदेश में आंशिक परिवर्तन किया जाए अन्यथा आवेदक को अपूर्णनीय क्षति होगी। प्रकरण में अनावेदक पक्ष से कोई उत्तर</p> |                                     |

# छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -

प्रकरण क्रमांक-M-RECT-2024-02162

आवेदक : श्रीमती तेरेसा लकड़ा, पति-श्री फूलजेन्स लकड़ा, निवासी-वार्ड नं.-42, तेरेसा विला, हेमू नगर, आर.एन.टी.लेन, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) विरुद्ध वात्सल्य बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स प्रा.लि. द्वारा डायरेक्टर-श्री प्रफुल्ल पुरुषोत्तम राव गड़गे, पता-201, गणेश चेम्बर्स, द्वितीय तल, मेहदिया चौक, धनटोली, यशवंत स्टेडियम के सामने, नागपुर (महाराष्ट्र)

प्रोजेक्ट-"वात्सल्य गौरव-2" सेजबहार, जिला-रायपुर (छ.ग.)

| आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान | आदेश अथवा कार्यवाही   | पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|
|                                 | <p>प्रस्तुत नहीं किया गया, आवेदिका पक्ष का तर्क श्रवण किया गया। आवेदिका का तर्क है कि पारित आदेश दिनांक 13.01.2022 में कुल राशि रूपये 12,31,000/- का भुगतान अनावेदक को किया गया है, इसे प्रमाणित करने हेतु आवेदन पत्र के साथ पृष्ठ क्रमांक-15 से पृष्ठ क्रमांक-28 तक रसीदों की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया था, जिसमें से राशि 8,68,000/- तक रसीदें पठनीय होने से प्रमाणित पाये जाने के कारण अनावेदक को भुगतान करने निर्देशित किया गया है। किन्तु आवेदिका द्वारा प्रस्तुत रसीदों में केवल उपरोक्त उल्लेखित रसीदें ही पठनीय है। साथ ही सभी पठनीय रसीदों में अनावेदक का सील व हस्ताक्षर है। किन्तु शेष रसीदों के अवलोकन से यह विनिश्चय कर पाना संभव नहीं है कि क्या उक्त रसीदें आवेदिका को अनावेदक द्वारा प्रदान की गई है अथवा रसीद में दिनांक व राशि उल्लेखित है ? इस प्रकार आवेदिका द्वारा प्रस्तुत रसीदों से से कुल राशि रूपये 8,68,000/- का भुगतान अनावेदक को किया जाना प्रमाणित होता है। आवेदिका द्वारा भुगतान की गई राशि 12,31,000/- रूपये को मय ब्याज वापिस दिलाई जाने की माँग की गई थी, जबकि प्रमाणित रसीदें पठनीय होने के कारण भुगतान की गई राशि 8,68,000/- रूपये राशि मय ब्याज वापिस दिलाई जाने का आदेश पारित किया गया था, जिसे संशोधित किया जाए।</p> <p>प्राधिकरण द्वारा पूर्व आदेश का अवलोकन किया गया। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं तर्क कि विशद विवेचना पारित प्रश्नाधीन आदेश में की गई है एवं युक्तियुक्त कारण भी दर्शाया गया है, आवेदिका द्वारा प्रकरण के अभिलेख से ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके संबंध में प्राधिकरण द्वारा संज्ञान</p> |                                     |

# छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -

प्रकरण क्रमांक-M-RECT-2024-02162

आवेदक : श्रीमती तेरेसा लकड़ा, पति-श्री फूलजेन्स लकड़ा, निवासी-वार्ड नं.-42, तेरेसा विला, हेमू नगर, आर.एन.टी.लेन, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) विरुद्ध वात्सल्य बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स प्रा.लि. द्वारा डायरेक्टर-श्री प्रफुल्ल पुरुषोत्तम राव गड़गे, पता-201, गणेश चेम्बर्स, द्वितीय तल, मेहदिया चौक, धनटोली, यशवंत स्टेडियम के सामने, नागपुर (महाराष्ट्र)

प्रोजेक्ट-"वात्सल्य गौरव-2" सेजबहार, जिला-रायपुर (छ.ग.)

| आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान | आदेश अथवा कार्यवाही   | पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|
|                                 | <p>नहीं लिया गया हो अथवा चूक हुई हो, अथवा लिपिकीय त्रुटि हुई हो, चूँकि समस्त तथ्यों का विशद विचारण कर सकारण निष्कर्ष निकाला गया है। अतः किसी प्रकार से कोई संशोधन परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः प्राधिकरण द्वारा समुचित विचारण पश्चात् आवेदक का प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा-39 निरस्त किया जाता है।</p> <p>सही/-<br/>(धनंजय देवांगन)<br/>सदस्य</p> <p>सही/-<br/>(संजय शुक्ला)<br/>अध्यक्ष</p> |                                     |